भाग–IV

नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरे जाने के लिए

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जावे।		मुख्य वन संरक्षक, जबलपुर वृत्त जबलपुर द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार जिला मंडला एवं जिला जबलपुर के अंतर्गत वनमंडल जबलपुर के कुण्डम परिक्षेत्र के अंतर्गत कक्ष क्रमांक 1, 2, 22, 23 एवं 24 का कुल रकबा 5.420 हे0 वनभूमि एवं सामान्य वनमंडल पश्चिम मंडला की परिक्षेत्र निवास के अंतर्गत कक्ष क्रमांक आर.एफ. 313, आर.एफ. 312, आर.एफ. 653, ओ. 853, ओ. 859, ओ 860, ओ. 863, ओ. 864, ओ. 866 एवं ओ. 867 का कुल रकबा 64.135 हे0 वनभूमि इस प्रकार कुल 69.555 हेक्टेयर वनभूमि छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण हेतु जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।

तिथि :– 30/10/2018

स्थान :– भोपाल

30/10/18

(SUNIL AGRAWAL)
I.F.S.
Addl. Principal Chief Conservator of forest
(Land Management)
Madhya Pradesh, Bhopal

D:\AJ\Data-irrigation\Part - IV.docx